

# सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

## PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया      प्रेस-विज्ञप्ति      दिनांक 13.11.2025

### जनपद आजमगढ़

थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़

दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।\*

घटना का पूर्व विवरण:-

दिनांक 03.11.2025 को वादिनी द्वारा थाना अहरौला पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 29.10.2025 की रात्रि में विपक्षी चोरी की नियत से उसके घर में घुस आया। प्रार्थिनी के देख लेने पर विपक्षी ने उसका मुँह दबाकर छेड़खानी एवं दुष्कर्म किया। प्रार्थिनी के शोर मचाने पर विपक्षी के परिजन आकर प्रार्थिनी के परिवारजनों के साथ मारपीट करने लगे। उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 401/2025 धारा 331(4)/64(1)/115(2) BNS पंजीकृत किया गया।

\*गिरफ्तारी का विवरण:-\*

दिनांक 12.11.2025 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक बाल अपचारी को खजुरी शंकर मंदिर के पास से समय 11:50 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

\*थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़\*

\*दिनांक – 12.11.2025\*

→ □ \*10 नफर वारंटियों की गिरफ्तारी\*

आज दिनांक 12.11.2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीमों ने वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के अनुपालन में कुल 10 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

\*गिरफ्तार वारंटियों का विवरण –\*

01. मानिक चन्द पुत्र श्रीराम चौहान, निवासी – कोल्हपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 59 वर्ष
02. संजय चौहान पुत्र नान्हू चौहान, निवासी – कोल्हपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 55 वर्ष
03. सत्यनारायण चौहान पुत्र रामबली, निवासी – कोल्हपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 60 वर्ष
04. रमेश पुत्र शिवमूरत, निवासी – मीरपुर आना, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 40 वर्ष
05. सावित्री पत्नी प्रदीप कुमार, निवासी – पाइन्दापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 50 वर्ष
06. राममूरत पुत्र कन्हई, निवासी – मीरपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 50 वर्ष
07. शिवमूरत पुत्र कन्हई, निवासी – मीरपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 55 वर्ष
08. अलीहार उर्फ पिल्लू पुत्र मंजूर, निवासी – सुराई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 54 वर्ष
09. रोशन पुत्र प्रभूराम, निवासी – गन्धुवई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 45 वर्ष
10. लालमनी पत्नी विनोद गुप्ता, निवासी – घुरीपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 50 वर्ष।

**\*थाना – कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़\***

**\*दिनांक – 12.11.2025\***

**\*शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*घटना का विवरण :-\***

दिनांक 09.11.2025 को वादिनी/पीड़िता द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि अभियुक्त पंकज मद्धेशिया पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी से मेलजोल बढ़ाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। जब वादिनी ने विवाह की बात कही, तो अभियुक्त ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 347/2025 धारा 69/352/351(3) BNS बनाम पंकज मद्धेशिया पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण :-\***

आज दिनांक 12.11.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पंकज मद्धेशिया पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय लगभग 11:35 बजे सेहदा अंडरपास (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे) से हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*पंजीकृत अभियोग :-\***

01. मु0अ0सं0 – 347/2025, धारा 69/352/351(3) BNS, थाना – कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-\***

01. उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया – थाना कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़

02. का0 जितेन्द्र सिंह – थाना कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़

03. का0 धीरेन्द्र पासवान – थाना कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़।

**\*थाना – बिलरियागंज, जनपद – आजमगढ़\***

**\*जान से मारने की नियत से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*घटना का संक्षिप्त विवरण :-\***

दिनांक 21.10.2025 को आगंतुक चक्रवान चन्द्र भास्कर पुत्र सत्यराम निवासी ग्राम ककरही दुलार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 20.10.2025 को रात्रि लगभग 8 बजे उनके दरवाजे के सामने गाँव के ही रजनीकांत पुत्र नेबूलाल, अरुण कुमार पुत्र बेचई, पवन पुत्र त्रिवेणी एवं नेबूलाल पुत्र बट्टी पटारखे फोड़ रहे थे। वादी द्वारा टोकने पर उक्त चारों व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए वादी के भाई अखिलेश कुमार भास्कर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा वादी को भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 359/2025 धारा 109/115(2)/352/351(3) BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

**\*गिरफ्तारी का विवरण :-\***

थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र बेचई कुमार निवासी ग्राम ककरही दुलार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम रामपुर थाना जीयनपुर से दिनांक 12.11.2025 समय 11:50 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*पंजीकृत अभियोग :-\***

01. मु0अ0सं0 359/2025, धारा 109/115(2)/352/351(3) BNS, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-\***

01. अरुण कुमार पुत्र बेचई कुमार, निवासी: ग्राम ककरही दुलार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, आयु: लगभग 19 वर्ष

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-\***

01. सुनील कुमार दुबे – थानाध्यक्ष, बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 गाँधी यादव – थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
03. का0 विकास यादव – थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
04. म0का0 प्रेमलता पाण्डेय – थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

**\*थाना – मेहनगर, जनपद – आजमगढ़\***

**\*अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।\***

**\*घटना का संक्षिप्त विवरण –\***

आज दिनांक 12.11.2025 को मैं उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा थाना से रवाना होकर तलाश वांछित/वारण्टी, जाँच एहकामात एवं देखभाल क्षेत्र हेतु गोपालपुर क्षेत्र में मामूर था। तलाशी/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नाजायज असलहा लेकर राजधर पुलिया पर किसी व्यक्ति के इंतजार में बैठा है और कोई आपराधिक घटना कारित करने की फिराक में है। सूचना पर विश्वास कर तत्काल राजधर पुलिया की ओर रवाना हुए। पुलिया के पास एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया, जिसे घेरकर मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम राजमंगल यादव पुत्र प्रहलाद यादव निवासी ग्राम विजईपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, उम्र 48 वर्ष बताया।

जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध पाया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 496/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –\***

01. राजमंगल यादव पुत्र प्रहलाद यादव, निवासी – ग्राम विजईपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, आयु – लगभग 48 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण –\***

01. एक अदद तमंचा 315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**\*पंजीकृत अभियोग –\***

01. मु0अ0सं0 496/25, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

**\*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –\***

01. मु0अ0सं0 20/16 धारा 307 भादवि थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 32/16 धारा 392 भादवि थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 33/16 धारा 394 भादवि थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
04. मु0अ0सं0 95/16 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
05. मु0अ0सं0 270/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
06. मु0अ0सं0 26/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
07. मु0अ0सं0 193/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
08. मु0अ0सं0 03/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
09. मु0अ0सं0 161/20 धारा 392/411 भादवि थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 84/20 धारा 307 भादवि व 25/27/7 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 126/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

### **\*गिरफ्तारी करने वाली टीम -\***

01. उ0नि0 रामगोपाल त्यागी,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
03. हे0का0 अवधेश नारायण यादव,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
04. का0 अतुल कुमार शुक्ला,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

## **जनपद-मऊ**

### **01.मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान पतारसी सुरागरसी में मु0अ0सं0 375/2025 धारा 64(2)(k) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अरविन्द पुत्र जयमंगल निवासी दतौडा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

#### **अभियुक्त का विवरण-**

1. अरविन्द पुत्र जयमंगल निवासी दतौडा थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 64(2)(k) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

#### **गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्या थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. का0 सावन कुमार थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
3. का0 मो0 लड़क थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
4. चालक का0 रविकान्त यादव थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

### **02. एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी का 01 अदद ट्रैक्टर बरामद -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस को दिनांक 12.11.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुस्किया हाईवे के पास से मु0अ0सं0 548/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस से संबंधित अभियुक्त नाथुराम पैकरा पुत्र चैन सिंह पैकरा निवासी ग्राम तिलदा थाना लवन, जिला बैलुदा बाजार छत्तीसगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद ट्रैक्टर जिसपर नम्बर UP 54 AY 9981 अंकित है को बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा दिनांक 10/11.11.2025 की रात्रि में एक आइसर ट्रैक्टर नम्बर U.P 54 AY 9981 को ग्राम पकड़ी बुजुर्ग थाना घोसी निवासी संजय सिंह पुत्र अमरजीत सिंह के ईंट-भण्डे जो ग्राम जमालपुर विक्कमपुर में है को चुराकर छत्तीसगढ़ ले जाने की बात बतायी गयी। ट्रैक्टर के चोरी होने के सम्बन्ध में वादी श्री संजय सिंह पुत्र अमरजीत सिंह नि० पकड़ी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर मु०अ०सं० 548/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत कराया गया था, उक्त प्रकरण में धारा 317(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

1. नाथुराम पैकरा पुत्र चैन सिंह पैकरा निवासी ग्राम तिलदा थाना लवन, जिला बैलुदा बाजार छत्तीसगढ़ उम्र करीब

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु०अ०सं० 548/2025 धारा 303(2)/ 317 (2) बी.एन.एस थाना घोसी जनपद मऊ

#### **बरामदगी विवरण**

1. बरामद 01 अदद चोरी गया ट्रैक्टर (U.P 54 AY 9981) अंकित है।

#### **गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का –**

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ०नि० लालमोहन शास्त्री थाना घोसी जनपद मऊ।
3. उ०नि० सूरज सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
4. का० धर्मपाल भारती थाना घोसी जनपद मऊ।
5. का० दिग्विजय पासवान थाना घोसी जनपद मऊ।

#### **03.मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बस स्टैण्ड भीटी के पास से मु०अ०सं० 387/25 धारा 132(2), 87 बी०एन०एस० से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा पुत्र हीरा साहनी थाना निवासी निजामुद्दीनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

#### **अभियुक्त का विवरण-**

1. किशन उर्फ कृष्णा पुत्र हीरा साहनी थाना निवासी निजामुद्दीनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

#### **पंजीकृत अभियोग –**

1. मु०अ०सं० 387/25 धारा 132(2), 87 बी०एन०एस० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

#### **04.ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन**

##### **कारावास व ₹55,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय ASJ/ spl(j) पास्को कोर्ट , जनपद मऊ द्वारा दिनांक 12-11-2025 को मु0अ0सं0 443/2012 धारा 302 , 201 भादवी मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त अरुण कुमार मौर्य पुत्र चंद्रदेव मौर्य निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास कारावास की सजा एवं ₹55000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान शाशकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव ,तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

गुमशुदा/खोए कुल 11 अदद मोबाइल फोन लगभग 147,000 (एक लाख सैतालिस हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना सरायलखन्सी में गुमशुदा 11 अदद मोबाइल फोन लगभग 1,47,000 (एक लाख सैतालिस हजार ) रुपये पीडित प्रिन्स सिंह, अखिलेश कुमार, संदीप चौहान, रंजीत, चन्दन, अजीत कुमार, मेघनाथ, बृजेश सिंह, बेचन कुमार, राजेश, संतारा जनपद मऊ। बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

##### **बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 पंकज पाण्डेय थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 नयन वर्णवाल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. म0उ0नि0 कोमल कसौधन थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. म0का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. क0आ0 आशीष द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

## **जनपद-बलिया**

**01.साइबर साइबर हेल्प डेस्क थाना भीमपुरा, जनपद बलिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अज्ञात व्यक्ति के खाते में भेजी गयी 50,000.00 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में कराया गया वापस ।**

### **संक्षिप्त विवरण:-**

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा साइबर हेल्पलाईन नंबर-1930 व साइबर हेल्प डेस्क थाना भीमपुरा में आकर शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसमें शिकायतकर्ता ने INDIAN BANK के खाते से दिनांक-08.11.2025 को कुल-50,000/- रुपये (पचास हजार मात्र) अज्ञात व्यक्ति के खाते में स्थानान्तरण किया गया था ।

इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया व अपर पुलिस अधीक्षक (द.)/ नोडल साइबर सेल बलिया के निर्देशन में साइबर क्राइम से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के क्रम में श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता व थानाध्यक्ष भीमपुरा श्री अखिलेशचन्द्र पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में साइबर हेल्प डेस्क थाना भीमपुरा द्वारा तत्काल शिकायत को संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप दिनांक-11.11.2025 को शिकायतकर्ता के खाते में स्थानान्तरित की गई धनराशि कुल-50,000/- रुपये साइबर हेल्प डेस्क थाना भीमपुरा के कुशल सहयोग से सम्पूर्ण राशि को वापस कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बलिया पुलिस तथा साइबर पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

**02. थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन को किया गया बरामद । बरामद मोबाइल फोन को सम्बन्धित मोबाइल स्वामी को किया गया सुपुर्द ।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री फहीम कुरैशी व प्र0नि0 बैरिया श्री विपिन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि आवेदकगण का मोबाइल बाजार जाते समय कहीं गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अपने मोबाइल की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना बैरिया पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर रजिस्टर एवं सर्विलांस सेल बलिया व थाना साइबर हेल्प डेस्क की सहायता से खोज किया जा रहा था । जिसके क्रम में दिनांक 12.11.2025 को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा 01 अदद मोबाइल को थाना क्षेत्र से बरामद कर मोबाइल स्वामी को नियमानुसार पुलिस टीम द्वारा सुपुर्द किया गया । मोबाइल स्वामी ने बैरिया पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिया धन्यवाद ।

### **03. थाना गड़वार जनपद बलिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (दक्षिणी) श्री कृपाशंकर के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर श्री मो० उस्मान व थानाध्यक्ष हितेश कुमार थाना गड़वार बलिया के कुशल नेतृत्व में थाना गड़वार पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय यह है कि आज दिनांक 12.11.2025 को उ०नि० गंगा प्रसाद मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा के द्वारा गिरफ्तारी हेतु प्राप्त हुकुम तहरीरी के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 258/25 धारा 123/64/351(3) बीएनएस व 67 आईटी से अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र ईश्वरचन्द उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम बड़की बाकी खुर्द थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष को मुखबिर की सूचना हजौली चिलकहर रोड को समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. विशाल कुमार पुत्र ईश्वरचन्द उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम बड़की बाकी खुर्द थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु०अ०स० 258/25 धारा 123/64/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना गड़वार जनपद बलिया।

### **04. एडवोकेट श्री सीताराम वर्मा के खाते से धोखाधड़ी कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाले गये 260678.00 रुपये को दिनांक-12.11.2025 को साइबर सेल बलिया द्वारा उनके खाते में वापस कराया गया।**

#### **संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक-30.10.2025 को आवेदक सीताराम वर्मा पुत्र श्री रमाशंकर वर्मा निवासी शिवरामपुर थाना बाँसडीह जनपद बलिया द्वारा थाना साइबर क्राइम कार्यालय आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि आवेदक के भारतीय स्टेट बैंक के खाते से दिनांक-30.10.2025 को कुल-260678.00/- रुपये (शब्दों में-दो लाख साठ हजार छः सौ अठहत्तर रुपये) फर्जी तरीके से धोखा देकर स्थानान्तरण किया गया है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक व नोडल साइबर क्राइम के निर्देशन में साइबर सेल बलिया द्वारा तत्काल शिकायत को संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप दिनांक-12.11.2025 को आवेदक सीताराम वर्मा के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि कुल-260678.00/- रुपये (शब्दों में-दो लाख साठ हजार छः सौ अठहत्तर रुपये) को वापस करा दिया गया है आवेदक सीताराम वर्मा द्वारा बलिया पुलिस तथा साइबर सेल बलिया की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।



## **05. थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा गौतस्करी व हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दक्षिणी श्री कृपा शंकर के सफल पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया मो० फहीम कुरैशी एवं प्रभारी निरीक्षक बैरिया श्री विपिन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.11.2025 को उ०नि० श्याम प्रकाश मिश्र द्वारा 01 अदद बावत उ०नि० श्री अजय कुमार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा जनपद में हाई अलर्ट के क्रम में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की जा रही थी कि तेज रफ्तार से आती हुई 01 पिकप उ०नि० श्री अजय कुमार द्वारा हाथ से रोकने का प्रयास किया गया किन्तु पिकअप चालक वाहन की गति और बढ़ाते हुए उ०नि० श्री अजय कुमार की तरफ उनको जान से मारने की नियत से उनकी तरफ लेकर बढ़ा कि वहाँ से सड़क के दूसरी ओर कूदकर अपनी जान बचाए। तत्समय उ०नि० अजय कुमार द्वारा चौकी चांददीयर प्रभारी उ०नि० श्याम प्रकाश मिश्र व चौकी प्रभारी जयप्रकाश नगर उ०नि० श्री मयंक कुमार को सूचित किया गया, कि उ०नि० श्याम प्रकाश मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा माझी पिकेट पर रास्ता अवरुद्ध कर पिकअप वाहन का इंतजार करने लगे, तेज गति से आ रही पिकअप के चालक द्वारा रास्ता अवरुद्ध देखकर पिकअप की स्टेरिंग लाक कर चालक व 01 अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गये, पिकअप वाहन सं० UP 60 CT 1012 को चेक किया गया तो 07 अदद गोवंश पायी गयी जिनको क्रूरता पूर्वक भरा गया था, जिसे पुलिस कब्जे में लेकर दिनांक 11.11.2025 को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 441/25 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० व 109(1) बी०एन०एस० बनाम पिकप चालक व 01 अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12.11.2025 को उ०नि० श्री नीरज कुमार वर्मा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की तलाश में बैरिया तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबीर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र चन्द्रबली राजभर निवासी शाहपुर अफगा थाना उभांव जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष को पासवान चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

### **पंजीकृत अभियोग**

1. मु०अ०सं० 441/25 धारा धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० व 109(1) बी०एन०एस० थाना बैरिया जनपद बलिया।

### **बरामदगी का विवरण**

1. 07 अदद गोवंश
2. एक अदद पिकअप वाहन सं० UP 60 CT 1012

### **गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता**

1. अभिषेक राजभर पुत्र चन्द्रबली राजभर निवासी शाहपुर अफगा थाना उभांव जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष।